न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 162/2022
GCMS NO. : 2022/278

–:: वादी :– — **बनाम** — **–:: प्रतिवादीगण :–**

वादीगण:

1. शांतिलाल पुत्र बद्रीलाल निवासी– जलगांव महाराष्ट्र
2. जगदीश पुत्र रतनलाल निवासी– कुड़की, हाल निवासी– जलगांव महाराष्ट्र
3. सुभाष पुत्र सोनाराम निवासी– कुड़की हालमुकाम– हैदराबाद
4. गौरीशंकर पुत्र लक्खीचंद उर्फ सोनूराम निवासी– कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद
5. अनिल पुत्र रामकिशन निवासी– कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद
6. मीरादेवी पुत्री बद्रीलाल निवासी कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद
7. श्याम पुत्र पन्ना उर्फ बंदना निवासी– कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद
8. प्रदीप पुत्र पन्ना उर्फ बंदना निवासी– कुड़की हालमुकाम– हैदराबाद

प्रतिवादीगण:

1. मुन्नाराम पुत्र बाबूलाल
2. आशा पुत्री रमेश
3. चन्द्रकांता पुत्री बद्रीलाल
4. सीमा पुत्री रमेश
5. रवि पुत्र रमेश
6. सुनील पुत्र पन्ना उर्फ बंदना जातिगण– ब्राह्मण, निवासीगण– कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण
7. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय जैतारण, जिला पाली राज० ।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — तारीख रजू:.24.08.2022

उपस्थितः– 1. श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– — दिनॉकः– 16/02/2023

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा कुडकी पटवार हल्का कुड़की, भूमि अभिलेख निरीक्षक रास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी शामलाती कृषि भूमि के खसरा संख्या 142 कुल रकब 2.4398 हेक्टेयर, खसरा संख्या 113 कुल रकबा 0.8498 हेक्टे[illegible] संख्य 111 रकबा 0.0081 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम [illegible] 4398 हेक्टेयर यानि 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि के बतौर खातेदा[illegible] के काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरान की कृषि भूमिया वादीगण, प्रतिवादीगण के बाप दादाओं से शामलाती चली आ रही है। उक्त खसरा[illegible] की भूमियों के वादग्रस्त कृषि भूमिय के नाम से संबोधित करे। वादग्रस्त कृषि भूमियों वक्त सेटलमेंट से पहले से वादीगण प्रतिवादीगण के बाप दादाओं के कब्जाकाश्त के अधीन चली आ रह है। उक्त खसरान की कृषि भूमिया पैतृक, पुश्तैनी है। प्रस्तुत वंश

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

वंशावली के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमिया शामलाती है। उक्त कृषि भूमियों को लेकर वादीगण, प्रतिवादीगण के बीच तनाव जैसी स्थिति रहती है। वादग्रस्त कृषि भूमियों पैतृक पुश्तैनी है जिसका आज तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवाड़ा नहीं किया गया, इसलिये वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है। वादीगण, प्रतिवादीगण के बीच में शामलाती पैतृक कृषि भूमियों को लेकर अधिक तनाव रहने से आपसी द्वेष भावना एवं लड़ाई झगड़ा का वातावरण रहता है। इसलिये प्रत्येक खसरान में वादीगण प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करे अपने-अपने हिस्से में सिंचाई, डालवाल, तारबन्दी कर सके इसलिये वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अदालत श्रीमान के समक्ष पेश है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 12.8.2022 बंटवाड़ा करने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम तो कई वर्षो से जबरदस्त काश्त करते है, इसलिये बंटवाड़ा नहीं करेंगे। इसलिये वाद-विवाद आगे न बढ़े इसलिये बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाने की आवश्यकता होने से श्रीमान के समक्ष यह वाद पेश किया गया है। वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 7 को पक्षकार बनाने के पहले दो माह का विधिक नोटिस के प्रॉविजन की वजह से अलग से दो माह का विधिक नोटिस की अवधि के कन्डोन करने एवं दावा पेश करने की इजाजत के लिये अलग से धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश करके दावा पेश की इजाजत ली जा रही है। वादीगण का बिनायदावा बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 12-08-2022 को बंटवाड़ा करने से मना करने से वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादपत्र के चरण संख्या एक में वर्णित तथ्य राजस्व रेकर्ड से संबंधित है जो स्वीकार करने के योग्य है। सम्पूर्ण कृषि भूमि शामलाती है। वादपत्र के चरण संख्या दो में वर्णित तथ्य वादीगण, प्रतिवादीगण की वंश वंशावली से संबंधित है जो मूल खातेदारों की है। उक्त शवर्णित सभी तथ्य सही है। वादपत्र के चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य सही है। उक्त कृषि भूमियों बाई मिस एण्ड बाई बाउण्ड्स के बंटवाड़ा हो जाता है तो सभी खातेदार अपनी भूमियों को अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग कर सकेंगे। वादपत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य सही है। सभी खातेदारों में कई वर्षो से बंटवाड़ा करवाने के लिये एक दूसरे के उपर दोष लगा रहे है। अगर सम्पूर्ण कृषि भूमियों का बंटवाड़ा किया जाता है, तो हम सभी खातेदार व सहखातेदार तैयार है। [illegible] के चरण संख्या 5 में भी वर्णित तथ्य [illegible] वादपत्र वर्णित तथ्य कानूनी है। वादपत्र के चरण संख्या में [illegible] के चरण संख्या 7 कानूनी है। वादपत्र के चरण संख्या 8 में वादीगण [illegible] है, जो स्वीकार करनें के योग्य है। अतः जवाबदावा [illegible] पेश [illegible] निवेदन है कि वादग्रस्त कृषि भूमियां खसरान् 142, 113, 1[illegible] कुल 3 [illegible] कुल रकबा 3.4398 हैक्टेयर का बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्डस् करने के अंतिम डिक्री फरमाई जावें। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र, लिखित बहस एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी सरहद मौजा कुड़की पटवार हल्का कुड़की सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया, जिसमें बदना पुत्र धन्ना, बद्रीलाल पुत्र उदयराज, बाबू पुत्र पन्ना, रतनलाल पुत्र उदयराज, सुखदेव पुत्र शिवदास जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार बतौर खातेदार दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में ना तो खातेदार है और ना ही सहखातेदार है, जबकि कृषि भूमि बंटवाड़े एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी एवं प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में खातेदार–सहखातेदार के रूप में दर्ज होना आवश्यक है। प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा विवादित आराजियात के सम्बन्ध में स्वंय के खातेदार/सहखातेदार होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही किये है। अतः वादीगण द्वारा हस्तगत वाद में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 अनुसार बिना किसी विधिक हैसियत के वादीगण उक्त आराजीयात् का बंटवाड़ा या स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी नहीं है। ऐसे में विधिक प्रावधानों एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/02/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण**
बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

–:: वादी :–

1. शांतिलाल पुत्र बद्रीलाल
   निवासी– जलगांव महाराष्ट्र
2. जगदीश पुत्र रतनलाल
   निवासी– कुड़की, हाल
   निवासी– जलगांव महाराष्ट्र
3. सुभाष पुत्र सोनाराम निवासी–
   कुड़की हालमुकाम– हैदराबाद
4. गौरीशंकर पुत्र लक्खीचंद उर्फ
   सोनूराम निवासी– कुड़की,
   हालमुकाम– हैदराबाद
5. अनिल पुत्र रामकिशन
   निवासी– कुड़की, हालमुकाम–
   हैदराबाद
6. मीरादेवी पुत्री बद्रीलाल निवासी
   कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद
7. श्याम पुत्र पन्ना उर्फ बंदना
   निवासी– कुड़की, हालमुकाम–
   हैदराबाद
8. प्रदीप पुत्र पन्ना उर्फ बंदना
   निवासी– कुड़की हालमुकाम–
   हैदराबाद

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. मुन्नाराम पुत्र बाबूलाल
2. आशा पुत्री रमेश
3. चन्द्रकांता पुत्र बद्रीलाल
4. सीमा पुत्री रमेश
5. रवि पुत्र रमेश
6. सुनील पुत्र पन्ना उर्फ बंदना
   जातिगण– ब्राह्मण, निवासीगण–
   कुड़की, हालमुकाम– हैदराबाद
   निवासीगण जैतारण तहसील जैतारण
7. तहसीलदार जैतारण, तहसील
   कार्यालय जैतारण, जिला पाली राज०।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई</u>
<u>निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु०न० :रा०वा० स०: 162/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस [illegible] सूबे व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी [illegible] ....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/0[illegible]/2023 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	05-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	05-00	फीस कमीश्नर	/
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	/
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	15-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

([illegible])
[illegible]
[illegible] (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:48 IST
Reason: SelfAttested